रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277971
CG-DL-E-17112026-277971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 890] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 997(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (सिविल सेवा) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रशासन" से (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, (iii) लक्षद्वीप तथा (iv) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासक" से, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 239कक के अधीन तथा (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, (ii) लक्षद्वीप, तथा (iii) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से किसी भी ग्रेड के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस ग्रेड में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "नियुक्ति दिवस" से इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुमोदित सेवा" से किसी भी ग्रेड के संबंध में निम्नलिखित वर्ष के 1 जनवरी से उस ग्रेड में की गई नियमित सेवा की वह अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत वह अवधि या अवधियां भी हैं जिनके दौरान सेवा का कोई सदस्य उस ग्रेड में नियमित आधार पर पद धारण किए होता, यदि वह छुट्टी पर या अन्यथा ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध न होता: -

(i) जो उस वर्ष का अनुवर्ती वर्ष है जिसमें उस ग्रेड में सीधे नियुक्त किए गए अधिकारी की बाबत परीक्षा हुई थी; तथा

(ii) उस वर्ष की, जिसमें उस ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी की नियमित आधार पर भर्ती की गई थी;

(च) "काडर" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों के पद समूह अभिप्रेत है;

(छ) "काडर नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का गृह मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ज) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(झ) "विभागीय पुष्टि समिति" और "विभागीय प्रोन्नति समिति" से, अनुसूची 4 में तथा विनिर्दिष्ट किसी ग्रेड में क्रमशः पुष्टि और पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई पद अभिप्रेत है;

(ट) "परीक्षा" से अनुसूची-3 में यथा इंगित दानिक्स सेवा में भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "ग्रेड" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(ढ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ण) "अनुसूचित जातियों", "अनुसूचित जनजातियों" और "अन्य पिछड़े वर्गों" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 366 के खंड (24), अनुच्छेद 366 के खंड (25) और अनुच्छेद 342क में दिए गए हैं;

(त) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव सिविल सेवा अभिप्रेत है।

3. सेवा का गठन और उसका वर्गीकरण - (1) नियम 6 और 7 के अधीन सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव सिविल सेवा रूप में ज्ञात एक सेवा गठित की जाएगी।

(2) अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में चार ग्रेड होंगे।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 और चयन ग्रेड के पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह "क" के पद होंगे तथा प्रवेश ग्रेड के पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह "ख" के पद होंगे।

4. ग्रेड, पद संख्या और उनका पुनर्विलोकन**-** (1) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और उनसे संबंद्धवेतनमान वही होंगे जो अनुसूची 1 के भाग क में विनिर्दिष्ट हैं:

परंतु यह कि सेवा में स्वीकृत पद संख्या का दस प्रतिशत और बीस प्रतिशत क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 और चयन ग्रेड के गैर-कार्यात्मक ग्रेड होंगे, और ये अनुसूची 1 के भाग ख और ग में विनिर्दिष्ट पदों की संबंधित संख्या के भीतर प्रवर्तित होंगे:

परंतु यह भी कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 1 में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपयें) में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के कुल स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) (क) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को, कर्तव्य पदों के पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तरों, ग्रेड और स्वीकृत पद संख्या वही होगी जो इन नियमों की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

(ख) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार समय-समय पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या या पदनामों में अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी।

(3) उप-नियम (2) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस पद के, जिसे सेवा के काडर में सम्मिलित किया गया है, किसी नियमित पदधारी को उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह पद धारण करता रहेगा और इस प्रयोजन के लिए पद को ऐसे पदधारी द्वारा धारित किए जाने तक सेवा से निकाला गया समझा जाएगा। सेवा में समावेशन हेतु ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

5. सेवा के सदस्य - (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्: -

(क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियमित आधार पर या धारणाधिकार पर कर्तव्य पदों को धारण करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (दानिक्स) के मौजूदा अधिकारी, जिन्हें इन नियमों के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वे उन पर लागू ग्रेड में सेवा के सदस्य बने रहेंगे; तथा

(ख) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति और वे इन नियमों के अधीन अपनी नियुक्ति की तारीख से अपने लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी की इन नियमों के लागू होने से पूर्व संबंधित तत्स्थानी ग्रेडों में की गई नियमित सेवा को वरिष्ठता, पुष्टि, पदोन्नति, गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड और गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा में गिना जाएगा।

6. सेवा का भावी अनुरक्षण - (1) नियम 5 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी ग्रेड में रिक्तियां, इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरी जाएंगी।

(2) (क) प्रवेश ग्रेड में पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष पचास प्रतिशत को प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(ख) सीधी भर्ती कोटा में रिक्तियां आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी।

(ग) प्रोन्नति कोटा में रिक्तियां ऐसे अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाएंगी जो विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित अनुसूची 2 में उल्लिखित पदों को धारण कर रहे हैं।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 और चयन ग्रेड के सभी रिक्त पदों को अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाले उनके ठीक निचले ग्रेड के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(4) (क) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 में प्रोन्नति, सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बेंचमार्क ग्रेड के अधीन रहते हुए "चयन" द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रवेश ग्रेड में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित बेंचमार्क ग्रेड के अधीन रहते हुए "चयन" द्वारा की जाएगी।

(ग) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 और चयन ग्रेड में प्रोन्नति, प्रोन्नति के लिए अनुपयुक्त होने पर अस्वीकृति के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी।

(5) उप-नियम (4) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।

(6) यदि सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी पर उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जा रहा है, तो उनके ज्येष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा, ऐसी अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और जो अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो।

टिप्पण - प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में अर्हक सेवा को पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। यदि प्रोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख विभिन्न सेवाओं से आने वाले दो या अधिक अधिकारियों के लिए एक ही है, तो आयु में ज्येष्ठ अधिकारी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान में रखा जाएगा।

7. कर्तव्य पदों का प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना - (1) नियम 6 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और आयोग के परामर्श करके किसी ग्रेड में किसी कर्तव्य पद को, समय-समय पर जारी सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ऐसी अवधि के लिए भर सकेगी।

(2) इन नियमों के अधीन सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा का विनिश्चय सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

8. ज्येष्ठता - प्रारंभिक गठन के पश्चात सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा और स्थायीकरण- (1) सेवा के प्रवेश ग्रेड के पद पर नियुक्त सेवा का प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और इस निमित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार काडर नियंत्रक प्राधिकारी ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा:

परंतु परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाने का कोई भी निर्णय सामान्यतः परिवीक्षा की पिछली अवधि के अवसान के आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और लिखित विनिश्चय को, ऐसा करने के कारणों सहित, उक्त अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति पर बनाए रखा जाएगा और यथासमय उन्हें स्थायी किया जाएगा।

(3) यदि यथास्थिति, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान, सरकार की यह राय हो कि कोई अधिकारी सेवा में पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित,

ऐसे अधिकारी को यथास्थित सेवा से कार्यमुक्त कर सकेगी या उन्हें उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी जिसे वे अपनी प्रोन्नति से पूर्व धारण कर रहे थे, या ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान, परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने के प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा अधिकारी से ऐसे प्रशिक्षण अनुदेश पाठ्यक्रम पूरा करने और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिंदी की परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(5) परिवीक्षा की अवधि से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. सेवा के सदस्यों का आबंटन - सरकार, समय-समय पर, नियम 12 के निबंधनों के अनुसार पदस्थापन के लिए किसी भी प्रशासन को सेवा के सदस्य आबंटित करेगी।

11. सेवा में नियुक्ति - सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी कर्तव्य पदों के लिए सेवा में सभी नियुक्तियां काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

12. तैनाती- किसी प्रशासन को आबंटित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसे किसी काडर बाध्य पद नियुक्त न किया गया हो, या वह अत्यावश्यकताओं के कारण किसी कर्तव्य पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न हों, संबंधित प्रशासक द्वारा उस प्रशासन के अधीन किसी कर्तव्य पद पर तैनात किया जाएगा।

13. निरर्हता - कोई ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वहं किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

14. सेवा की अन्य शर्तें - सेवा के सदस्यों की ऐसे उन विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा की शर्तें वे होंगी, जो समय समय पर सरकार के समतुल्य रैंक के अधिकारियों को लागू हैं।

15. शिथिल करने की शक्ति - जहां सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करके और आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

16. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

17. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

अनुसूची-1

[नियम 4(1) देखें]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सिविल सेवा के ग्रेडों में कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

भाग क - सेवा के ग्रेड और स्वीकृत पद संख्या

क.	सेवा के ग्रेड	पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में लेवल
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 (समूह क)	40 वेतन स्तर -13
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 (समूह क)	78 - (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 में पदस्थ पदधारी) वेतन स्तर 12
3.	चयन ग्रेड (समूह क)	81 वेतन स्तर 11
4.	प्रवेश ग्रेड (समूह ख)	326 - (चयन ग्रेड में पदस्थ पदधारी) (प्रारंभिक नियुक्ति पर वेतन स्तर 8) टिप्पणी: सतर्कता और सत्यनिष्ठा अनापत्ति के अध्यधीन चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर वेतन स्तर10।

ख.	स्वीकृत पद संख्या:	पदों की संख्या
1.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विशिष्ट पद	345
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	29
3.	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	14
4.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	16
5.	प्रतिनियुक्ति, अवकाश और प्रशिक्षण रिजर्व	72
	कुल योग	**476**

ग.	रिजर्व	पदों की संख्या
1.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
2.	अवकाश रिजर्व	18
3.	प्रशिक्षण रिजर्व	18
	कुल योग	**72**

भाग-ख - कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2 में पद

क्र. सं.	(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	पदों की संख्या
1	अपर निदेशक (समाज कल्याण)	1
2	अपर निदेशक (महिला और बाल विकास)	1
3	अपर निदेशक (शिक्षा)	2
4	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	2
5	अपर निदेशक (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय)	1
6	अपर निदेशक (उद्योग)	3
7	अपर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा विभाग)	2
8	अपर आयुक्त, परिवहन	3
9	अपर निदेशक (प्रशासनिक सुधार)	1
10	अपर निदेशक (कृषि और विपणन)	1
11	अपर आयुक्त (उत्पाद शुल्क)	2
12	मंत्रियों के सचिव	6
13	अपर आयुक्त (खाद्य और सिविल आपूर्ति)	4
14	अपर सचिव (विधान सभा सचिवालय)	2
15	अपर आयुक्त (जीएसटी)	2
16	अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
17	कलक्टर/ उपायुक्त (राजस्व जिला)	4
18	अपर सचिव (सतर्कता)	1
19	अपर सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	1
20	अपर सचिव (सेवाएं)	2
21	अपर सचिव (गृह)	1
22	अपर सचिव (लोक निर्माण विभाग)	1
23	अपर सचिव (भूमि और भवन)	1
24	अपर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)	1
25	अपर सचिव (योजना)	1
26	अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)	1

27	अपर सचिव (शहरी विकास)	2
28	उपराज्यपाल के अपर सचिव	1
29	डीआईजी (कारागार)	3
30	सचिव (डीएसएसएसबी)	1
31	सचिव (राज्य निर्वाचन आयोग)	1
32	उपायुक्त (एमसीडी)	3
33	नियंत्रक (माप और तौल)	1
34	परीक्षा नियंत्रक (डीएसएसएसबी)	1
35	निदेशक (एससीईआरटी)	1
36	सदस्य सचिव (डीपीसीसी)	1
37	मुख्य महा प्रबंधक (दिल्ली वित्त निगम)	1
38	मुख्य महाप्रबंधक (दिल्ली परिवहन निगम)	1
39	कार्यकारी निदेशक (डीएसआईआईडीसी)	1
40	महाप्रबंधक (डीएससीएससी)	1
41	महाप्रबंधक (डीटीटीडीसी)	1
42	प्रबंध निदेशक (डीटीआईडीसी)	1
43	कुलसचिव (आईपी विश्वविद्यालय)	1
44	कुलसचिव (दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय)	1
	कुल	**71**

क्र. सं.	**(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद**	**पदों की संख्या**
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण अंडमान)	1
2	निदेशक (पर्यटन)	1
3	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार	1
4	निदेशक (ग्रामीण विकास)	1
5	निदेशक (जनजातीय कल्याण)	1
6	निदेशक (परिवहन)	1
	कुल	**6**

क्र. सं.	(ग) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद	पदों की संख्या
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय)	1
	कुल	**1**

भाग-ख का कुल योग (क + ख + ग) (जेएजी-I और जेएजी-II में पद) : 78

भाग-ग - प्रवेश ग्रेड और चयन ग्रेड में पद

क्र. सं.	(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	पदों की संख्या
1	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	4
2	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	12
3	उपायुक्त (खाद्य एवं सिविल आपूर्ति)	10
4	संयुक्त सचिव (गृह)	1
5	संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)	1
6	संयुक्त सचिव (सेवाएं)	2
7	संयुक्त सचिव (वित्त)	1
8	उप सचिव (गृह)	3
9	उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग)	2
10	उप सचिव (सेवाएं)	4
11	उप सचिव (वित्त)	3
12	उप सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	4
13	सहायक आवास आयुक्त	2
14	उपायुक्त (विकास)	2
15	अपर जिला मजिस्ट्रेट	11
16	उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम)	33
17	उप निदेशक (रोजगार)	13
18	उपायुक्त (जीएसटी)	81
19	संयुक्त आयुक्त (उत्पाद शुल्क)	1
20	उपायुक्त (उत्पाद शुल्क)	8
21	उप निदेशक (उद्योग)	2
22	निदेशक (मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज)	1

23	उप निदेशक (मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज)	1
24	उप निदेशक (एनसीसी)	1
25	उप निदेशक (औषधि नियंत्रण संगठन)	1
26	उप निदेशक (दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल)	1
27	उप निदेशक (नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल)	1
28	उप निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय)	1
29	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय)	1
30	संयुक्त रजिस्ट्रार (तकनीकी शिक्षा बोर्ड)	1
31	उप निदेशक (शिक्षा)	10
32	उपायुक्त (परिवहन)	5
33	उप निदेशक (यूटीसीएस)	2
34	संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा विभाग)	1
35	उप निदेशक (समाज कल्याण)	1
36	निदेशक (कॉलेज ऑफ आर्ट्स)	1
37	निदेशक (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)	1
38	मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव	1
39	उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव	1
40	संयुक्त निदेशक (शिक्षा)	1
41	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	1
42	संयुक्त निदेशक (यूटीसीएस)	1
43	संयुक्त आयुक्त (पुनर्वास)	1
44	संयुक्त आयुक्त (विकास)	1
45	संयुक्त आयुक्त (जीएसटी)	14
46	निदेशक (एलएनजेपी अस्पताल)	1
47	उप निदेशक (एलएनजेपी अस्पताल)	1
48	निदेशक (जीबी पंत अस्पताल)	1
49	निदेशक (पंचायत)	1
50	परियोजना निदेशक (ग्रामीण विकास)	1

51	संयुक्त सचिव (रेरा)	1
52	निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी)	1
53	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	2
54	निदेशक (डीजेबी)	2
55	निदेशक (डीडीए)	2
56	निदेशक (एनडीएमसी)	2
57	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दिल्ली वक्फ बोर्ड)	1
58	सहायक आयुक्त (एमसीडी)	5
59	उप सचिव (राज्य निर्वाचन आयोग)	1
60	सचिव (संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग)	1
	कुल	**274**

क्र. सं.	**(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद**	**पदों की संख्या**
1	सहायक आयुक्त (मायाबंदर)	1
2	सहायक आयुक्त (नानकौरी)	1
3	सहायक आयुक्त (बंदोबस्त)	1
4	सहायक आयुक्त (श्री विजय पुरम)	1
5	सहायक आयुक्त (कैंपबेल बे)	1
6	निदेशक (उद्योग)	1
7	उप पंजीयक, सहकारी समितियां	1
8	अपर जिला मजिस्ट्रेट (निकोबार)	1
9	संयुक्त निदेशक (ग्रामीण विकास)	1
10	निदेशक (नागरिक आपूर्ति)	1
11	अपर जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर एवं मध्य अंडमान)	1
12	संयुक्त सचिव (योजना)	1
13	संयुक्त आयुक्त (जनजातीय कल्याण)	1
14	सहायक आयुक्त (रंगत)	1
15	सहायक आयुक्त (डिगलीपुर)	1

16	उप स्थानिक आयुक्त	3
17	सहायक आयुक्त (शहीद एवं स्वराज द्वीप)	1
18	सहायक आयुक्त (हटबे)	1
19	सहायक आयुक्त (कच्छल, टेरेसा एवं चौरा)	1
20	उप निदेशक (पर्यटन)	1
21	निदेशक (मत्स्य पालन)	1
	कुल	**23**

क्र. सं.	**(ग) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद**	**पदों की संख्या**
1	निदेशक (सेवाएं एवं जीएपी)	1
2	डिप्टी कलेक्टर (मुख्यालय)	1
3	डिप्टी कलेक्टर (मिनिकॉय)	1
4	डिप्टी कलेक्टर (अगत्ती एवं अमिनी)	1
5	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
6	निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन)	1
7	निदेशक (उद्योग)	1
8	निदेशक (सतर्कता)	1
9	निदेशक (शिक्षा)	1
10	निदेशक (समाज कल्याण)	1
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत)	1
12	निदेशक (योजना)	1
13	डिप्टी कलेक्टर (अंद्रोत)	1
	कुल	**13**

क्र. सं.	**(घ) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन के अधीन पद**	**पदों की संख्या**
1	संयुक्त सचिव (कार्मिक)	1
2	संयुक्त सचिव (शिक्षा)	1
3	संयुक्त सचिव (वित्त)	1
4	डिप्टी कलेक्टर (दीव)	1

5	मुख्य अधिकारी (दीव)	1
6	डिप्टी कलेक्टर (दमण)	1
7	संयुक्त सचिव (पर्यटन एवं समाज कल्याण)	1
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दमण)	1
9	संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य)	1
10	मुख्य अधिकारी (दमण)	1
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दीव)	1
12	संयुक्त सचिव (उद्योग)	1
13	डिप्टी कलेक्टर (खानवेल)	1
14	डिप्टी कलेक्टर (सिलवासा)	1
15	मुख्य अधिकारी (सिलवासा)	1
16	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीएनएच)	1
	कुल	**16**
भाग-ग का कुल योग (क + ख + ग + घ) (प्रवेश ग्रेड और प्रवरण ग्रेड में पद)		**326**

कुल महायोग (भाग ख + भाग ग) : 404

अनुसूची-2

[नियम 6 देखें]

प्रवेश ग्रेड में सम्मिलित हेतु पात्र पद :

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद

(i) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार की अधीनस्थ सेवा का ग्रेड I

(ii) हिंदी अधिकारी

(iii) पंजाबी अधिकारी

(iv) उर्दू अधिकारी

(v) दिल्ली के उपायुक्त के निजी सहायक

(vi) दिल्ली विधान सभा के प्रतिवेदक

(vii) प्रेस अधिकारी

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद

(i) तहसीलदार

(ii) सहायक सचिव (सार्वजनिक, वित्त, विकास और स्थापना)

(iii) कोषागार अधिकारी और पंजीयक

(iv) खंड विकास अधिकारी (v) अधीक्षक (vi) लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी विभाग (vii) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
(ग) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद (i) खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) (ii) कनिष्ठ रोजगार अधिकारी
(घ) दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन के अधीन पद (i) अधीक्षक (ii) मामलतदार (iii) खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) (iv) जांच अधिकारी, नगर सर्वेक्षण (सिटी सर्वे) (v) सहायक बिक्री कर अधिकारी (vi) भूमि सुधार अधिकारी

अनुसूची-3

[नियम 6(2) और 6(3) देखें]

पात्रता और प्रोन्नति की पद्धति

क्र. सं.	ग्रेड	प्रोन्नति की पद्धति	प्रोन्नति के लिए पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रोन्नति के लिए फिट न होने के कारण अस्वीकृति के अधीन रहते हुए वरिष्ठता के क्रम में प्रोन्नति द्वारा।	न्यूनतम अठारह वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	न्यूनतम तेरह वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले नियमित रूप से नियुक्त चयन ग्रेड अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।
3.	चयन ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रोन्नति के लिए फिट न होने के कारण अस्वीकृति के अधीन रहते हुए वरिष्ठता के क्रम में प्रोन्नति द्वारा।	न्यूनतम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले नियमित रूप से नियुक्त प्रवेश ग्रेड अधिकारी चयन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।

4.	प्रवेश ग्रेड	50% सीधी भर्ती द्वारा	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से।
		50% प्रोन्नति द्वारा	अनुसूची II में उल्लिखित पदों पर 03 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से।
टिप्पण: प्रोन्नति के लिए किसी अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तारीख उस वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें रिक्ति हुई है।			

अनुसूची-4

[नियम 6(2) और 6(5) देखें]

विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति की संरचना

क. विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी)	
(I) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1	
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य	– अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या अपर सचिव	– सदस्य
3. मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	– सदस्य
4. प्रशासक के सलाहकार, लक्षद्वीप	– सदस्य
5. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	– सदस्य
6. प्रधान सचिव या सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य
(II) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2	
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य	– अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या अपर सचिव	– सदस्य
3. मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	– सदस्य
4. प्रशासक के सलाहकार, लक्षद्वीप	– सदस्य
5. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	– सदस्य
6. प्रधान सचिव / सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य
(III) चयन ग्रेड:	
1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य	– अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या अपर सचिव	– सदस्य
3. प्रधान सचिव या सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य
4. सचिव (कार्मिक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	– सदस्य
5. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	– सदस्य
6. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, लक्षद्वीप	– सदस्य
(IV) प्रवेश ग्रेड:	
1. गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव या सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य

3. सचिव (कार्मिक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	– सदस्य
4. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	– सदस्य
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, लक्षद्वीप	– सदस्य
टिप्पण: अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही, यदि समिति के अध्यक्ष सहित आधे से अधिक सदस्यों ने इसकी बैठक (बैठकों) में उपस्थित हुए हों, अविधिमान्य नहीं होगी।	
ख. विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी)	
(I) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1: लागू नहीं	
(II) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-2: लागू नहीं	
(III) चयन ग्रेड: लागू नहीं	
(IV) प्रवेश ग्रेड:	
1. गृह मंत्रालय में संघ राज्यक्षेत्र प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव या सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार	– सदस्य
3. सचिव (कार्मिक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	– सदस्य
4. प्रशासक के सलाहकार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	– सदस्य
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, लक्षद्वीप	– सदस्य

[फा. सं. 14016/06/2023-यूटीएस-II]
पी. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

G.S.R. 997(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Civil Service) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Administration" means the Government in respect of the Union territories of the (i) National Capital Territory of Delhi (ii) Andaman and Nicobar Islands, (iii) Lakshadweep and (iv) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(b) "Administrator" means the administrator appointed under article 239AA of the Constitution for the Union Territory of National Capital Territory of Delhi and under article 239 of the Constitution for the Union Territories of the (i) Andaman and Nicobar Islands, (ii) Lakshadweep, and (iii) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, as the case may be;

(c) "Appointing Authority", in relation to any grade, means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 to make appointments to that grade;

(d) "Appointed day" means the date of publication of these rules in the Official Gazette;

(e) "Approved Service", in relation to any grade, means the period or periods of regular service rendered in that grade, including the period or periods during which a member of the Service could have held a post on a regular basis in that grade but for their being on leave or otherwise not being available to hold such posts, starts from the 1st day of January of the year-

(i) following the year in which the examination was held in respect of an officer appointed directly to that grade; and

(ii) for which the recruitment was made on regular basis in respect of an officer appointed to that grade by promotion;

(f) "Cadre" means the group of posts in the grades as specified in rule 3;

(g) "Cadre Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Home Affairs;

(h) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(i) "Departmental Confirmation Committee" and "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted to consider confirmation and promotion respectively in any grade as specified in Schedule IV;

(j) "Duty post" means any post, specified in Schedule I;

(k) "Examination" means the competitive examination held by the Commission for recruitment to the DANIC service as indicated in Schedule-III.

(l) "Government" means the Government of India;

(m) "Grade" means any of the grades specified in rule 3;

(n) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(o) "Scheduled Castes", "Scheduled Tribes" and "Other Backward Classes" shall have the same meaning as are assigned to them by clause (24) of article 366, clause (25) of article 366 and article 342A respectively of the Constitution of India;

(p) "Service" means the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Civil Service constituted under rule 3.

3. Composition of the service and its classification - (1) There shall be constituted a Service known as the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Civil Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.

(2) The Service shall have four grades as specified in Schedule I.

(3) The posts in Junior Administrative Grade-I, Junior Administrative Grade-II and Selection Grade shall be Central Civil Services Group "A" posts and those in the Entry Grade shall be Central Civil Services Group "B" posts.

4. Grade, Strength and their review - (1) The duty posts included in the various grades, their number and the scale of pay attached to them on the date of publication of these rules shall be as specified in Part A of Schedule I:

Provided that ten per cent of the sanctioned strength and twenty per cent of the sanctioned strength of the posts in the Service shall be non-functional grades of Junior Administrative Grade-I and Selection Grade respectively, and these shall operate within the respective number of posts specified in Parts B and C of Schedule I:

Provided further that the number of posts in Junior Administrative Grade-I shall not exceed the total number of sanctioned posts in the Junior Administrative Grade in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix.

(2) (a) The designations, levels in the pay matrix, grades, sanctioned strength of the duty posts, on the date of commencement of these rules, shall be as specified in Schedule-I to these rules.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) above, the Government may, from time to time make temporary additions or alterations to the number of duty posts or designations as specified in Schedule-I.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (2), in case any regular incumbent of the post which has been encadred in the Service is not found suitable for appointment to the Service under clause (b) of sub-rule (2), they shall continue to hold the post and for the purpose the post shall be treated to have been excluded from the Service till such time it is held by such incumbent and the suitability of such persons for induction into the Service will be reviewed every year.

5. Member of the Service. (1) The following persons shall be members of the Service, namely: -

(a) existing officers of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (DANICS) holding duty posts on regular basis or on lien in various grades of the Service as on the date of publication of these rules, who shall be deemed to have been appointed to the Duty posts under these rules and they shall continue to be a member of the service in the grade applicable to them; and

(b) persons appointed to the duty posts under rule 6 and they shall become a member of the Service in the appropriate grade applicable to them from the date of their appointment under these rules.

(2) The regular service of an officer referred to in sub-rule (1) in the respective corresponding grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted for qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional selection grade and non-functional upgradation

6. Future maintenance of the Service. - (1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule I, after the initial constitution under rule 5, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) (a) Fifty percent of the posts in Entry Grade shall be filled by direct recruitment and the remaining fifty percent by promotion.

(b) The vacancies in the direct recruitment quota shall be filled on the basis of the Civil Services Examination conducted by the Commission.

(c) The vacancies in the promotion quota shall be filled by selection from amongst officers holding posts mentioned in Schedule II with three years regular service in the grade on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(3) All the vacancies in the grades of Junior Administrative Grade-I, Junior Administrative Grade-II and Selection Grade shall be filled by promotion from amongst the officers in the respective immediate lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(4) (a) The promotion to the Junior Administrative Grade-II shall be made by "selection" subject to the benchmark grade prescribed by the Government from time to time for this level of posts under the Government.

(b) The induction by promotion to the Entry Grade shall be made by "selection" subject to the bench mark grade prescribed by the Government from time to time for this level of posts under the Government.

(c) The promotion to the Junior Administrative Grade-I and Selection Grade shall be made in the order of seniority subject to rejection for being unfit for promotion.

(5) The selection in each case under sub-rule (4) shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(6) If any officer appointed to any grade of the Service is being considered for the purpose of promotion to the higher post, their seniors would also be considered for the, provided they are not short of the qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note - The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post. If the crucial date for determining eligibility for promotion is the same for two or more officers coming from different sources, the officer senior in age will be placed higher in the eligibility list.

7. Filling of duty posts by deputation. - (1) Notwithstanding anything contained in rule 6, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in any grade by transfer on deputation, (including short term contract) for such period as per the instructions of the Government issued from time to time.

(2) The qualification, experience and the eligibility service required for appointment to any grade of the Service under these rules shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

8. Seniority - The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

9. Probation and confirmation - (1) Every Member of the Service, appointed to the post of Entry Grade of the Service, shall be on probation for a period of two years and such period may be extended by the Cadre Controlling Authority in accordance with the instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard:

Provided that any decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and the decision in writing shall be communicated to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof; officers shall, if considered fit for regular appointment, retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course.

(3) If, during the period of probation referred to in sub-rule (1) or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for confirmation in the service, the Government may for reasons to be recorded in writing, discharge such officer from the service or revert them to the post which they have been holding before their promotion, as the case may be, or pass such orders as it may deem fit.

(4) During the period of probation or any extension thereof; the officer may be required by the Government to undergo such courses of training instructions and to pass such examinations and tests (including an examination in Hindi) as it may deem fit for the purpose of satisfactory completion of period of probation.

(5) As regards other matters relating to the period of probation, the members of the Service shall be governed by instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard.

10. Allocation of members of the Service - The Government shall, from time to time, allocate a member of the Service to any Administration for posting in terms of rule 12.

11. Appointment to the Service - All appointments to the Service shall be made by the Cadre Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

12. Posting - Every member of the Service allocated to an Administration shall, unless, they are appointed to a post other than a cadre post, or are otherwise not available for holding a duty post owing to any exigencies, be posted against a duty post under that Administration by the Administrator concerned.

13. Disqualification - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. Other conditions of service - The other conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Government.

15. Power to relax - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

17. Interpretation -If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

Schedule-I

[See rule 4(1)]

Name, number and scale of pay of duty posts in the grades of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Civil Service.

Part A - Grades and Sanctioned Strength of the Service

a.	**Grades of Service**	**No of posts and level in pay matrix**
1.	Junior Administrative Grade-I (Group A)	40 pay level- 13
2.	Junior Administrative Grade-II (Group A)	78-(incumbent in position in Junior Administrative Grade-I) pay level 12
3.	Selection Grade (Group A)	81 pay level 11
4.	Entry Grade (Group B)	326 - (incumbent in position in Selection grade) (pay level 8 on initial appointment) Note: Level 10 on completion of four years of approved service subject to vigilance and integrity clearance.
b.	**Sanctioned Strength**	**No. of Posts**
1.	Specific posts under the Government of the National Capital Territory of Delhi.	345
2.	Specific posts under the Andaman and Nicobar Islands Administration	29
3.	Specific posts under the Lakshadweep Administration.	14
4.	Specific posts under the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Administration.	16
5.	Deputation, Leave and Training Reserves	72
	Total	**476**
c.	**Reserves**	**No. of posts**
1.	Deputation reserve	36
2.	Leave reserves	18
3.	Training reserves	18
	Total	**72**

Part-B - Posts in the Junior Administrative Grade I and Junior Administrative Grade II

S. No.	(a) Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi	No. of Posts
1	Additional Director (Social Welfare)	1
2	Additional Director (Women & Child Development)	1
3	Additional Director (Education)	2
4	Additional Registrar of Cooperative Societies	2
5	Additional Director (Directorate of Training & Technical Education)	1
6	Additional Director (Industries)	3
7	Additional Commissioner (Department of Food Safety)	2
8	Additional Commissioner, Transport	3
9	Additional Director (Administrative Reforms)	1
10	Additional Director (Agriculture and Marketing)	1
11	Additional Commissioner (Excise)	2
12	Secretary to Ministers	6
13	Additional Commissioner (Food & Civil Supplies)	4
14	Additional Secretary (Legislative Assembly Secretariat)	2
15	Additional Commissioner (GST)	2
16	Additional Chief Electoral Officer	1
17	Collector/Deputy Commissioner (Revenue District)	4
18	Additional Secretary (Vigilance)	1
19	Additional Secretary (Health & Family Welfare)	1
20	Additional Secretary (Services)	2
21	Additional Secretary (Home)	1
22	Additional Secretary (Public Works Department)	1
23	Additional Secretary (Land & Building)	1
24	Additional Secretary (Information Technology)	1
25	Additional Secretary (Planning)	1
26	Additional Secretary (General Administration Department)	1
27	Additional Secretary (Urban Development)	2
28	Additional Secretary to Lieutenant Governor	1
29	DIG (Prisons)	3
30	Secretary (DSSSB)	1
31	Secretary (State Election Commission)	1
32	Deputy Commissioner (MCD)	3
33	Controller (Weights & Measurement)	1
34	Controller of Examination (DSSSB)	1
35	Director (SCERT)	1
36	Member Secretary (DPCC)	1

37	Chief General Manager (Delhi Financial Corporation)	1
38	Chief General Manager (Delhi Transport Corporation)	1
39	Executive Director (DSIIDC)	1
40	General Manager (DSCSC)	1
41	General Manager (DTTDC)	1
42	Managing Director (DTIDC)	1
43	Registrar (IP University)	1
44	Registrar (Delhi Technical University)	1
	Total	**71**

S. No.	(b) Post under the Andaman and Nicobar Administration	No. of Posts
1	Additional District Magistrate (South Andaman)	1
2	Director (Tourism)	1
3	Registrar of Cooperative Societies	1
4	Director (Rural Development)	1
5	Director (Tribal Welfare)	1
6	Director (Transport)	1
	Total	**6**

S. No.	(c) Posts under Lakshadweep Administration	No. of Posts
1	Additional District Magistrate (Hqrs.)	1
	Total	**1**

Grand Total of Part-B (a+b+c) (Posts in JAG-I and JAG-II) 78

Part-C Posts in Entry Grade and Selection Grade

S. No.	(a) Posts under Government of National Capital Territory of Delhi	No. of Posts
1	Joint Registrar of Cooperative Societies	4
2	Deputy Registrar of Cooperative Societies	12
3	Deputy Commissioner (Food & Civil Supplies)	10
4	Joint Secretary (Home)	1
5	Joint Secretary (GAD)	1
6	Joint Secretary (Services)	2
7	Joint Secretary (Finance)	1
8	Deputy Secretary (Home)	3
9	Deputy Secretary (GAD)	2
10	Deputy Secretary (Services)	4
11	Deputy Secretary (Finance)	3
12	Deputy Secretary (Health & Family Welfare)	4

13	Assistant Housing Commissioner	2
14	Deputy Commissioner (Development)	2
15	Additional District Magistrate	11
16	Sub Divisional Magistrate	33
17	Deputy Director (Employment)	13
18	Deputy Commissioner (GST)	81
19	Joint Commissioner (Excise)	1
20	Deputy Commissioner (Excise)	8
21	Deputy Director (Industries)	2
22	Director (Maulana Azad Medical College)	1
23	Deputy Director (Maulana Azad Medical College)	1
24	Deputy Director (NCC)	1
25	Deputy Director (Drug Control Organization)	1
26	Deputy Director (Deen Dayal Upadhyay Hospital)	1
27	Deputy Director (Nehru Homeopathic College & Hospital)	1
28	Deputy Director (Directorate of Training & Technical Education)	1
29	Joint Director (Directorate of Training & Technical Education)	1
30	Joint Registrar (Board of Technical Education)	1
31	Deputy Director (Education)	10
32	Deputy Commissioner (Transport)	5
33	Deputy Director (UTCS)	2
34	Joint Commissioner (Department of Food Safety)	1
35	Deputy Director (Social Welfare)	1
36	Director (College of Arts)	1
37	Director (Irrigation and Flood Control Department)	1
38	Joint Secretary to Chief Minister	1
39	Joint Secretary to Lieutenant Governor	1
40	Joint Director (Education)	1
41	Joint Secretary (Health & Family Welfare)	1
42	Joint Director (UTCS)	1
43	Joint Commissioner (Rehabilitation)	1
44	Joint Commissioner (Development)	1
45	Joint Commissioner (GST)	14
46	Director (LNJP Hospital)	1
47	Deputy Director (LNJP Hospital)	1
48	Director (GB Pant Hospital)	1
49	Director (Panchayat)	1
50	Project Director (Rural Development)	1

51	Joint Secretary (RERA)	1
52	Director (Indian System of Medicine and Homeopathy)	1
53	Joint Chief Electoral Officer	2
54	Director (DJB)	2
55	Director (DDA)	2
56	Director (NDMC)	2
57	CEO (Delhi WAQF Board)	1
58	Assistant Commissioner (MCD)	5
59	Deputy Secretary (State Election Commission)	1
60	Secretary (Election Commission for UTs)	1
	Total	**274**

S. No.	**(b) Posts under Andaman and Nicobar Administration**	**No. of Posts**
1	Assistant Commissioner (Mayabunder)	1
2	Assistant Commissioner (Nancowry)	1
3	Assistant Commissioner (Settlement)	1
4	Assistant Commissioner (Sri Vijaya Puram)	1
5	Assistant Commissioner (Campbell Bay)	1
6	Director (Industries)	1
7	Deputy Registrar of Cooperative Societies	1
8	Additional District Magistrate (Nicobar)	1
9	Joint Director (Rural Development)	1
10	Director (Civil Supplies)	1
11	Additional District Magistrate (North & Middle Andaman)	1
12	Joint Secretary (Planning)	1
13	Joint Commissioner (Tribal Welfare)	1
14	Assistant Commissioner (Rangat)	1
15	Assistant Commissioner (Diglipur)	1
16	Deputy Resident Commissioner	3
17	Assistant Commissioner (Shaheed & Swaraj Dweep)	1
18	Assistant Commissioner (Hutbay)	1
19	Assistant Commissioner (Katchal, Teressa & Chowra)	1
20	Deputy Director (Tourism)	1
21	Director (Fisheries)	1
	Total	**23**

S. No.	(c) Posts under Lakshadweep Administration	No. of Posts
1	Director (Services and GAP)	1
2	Deputy Collector (HQ)	1
3	Deputy Collector (Minicoy)	1
4	Deputy Collector (Agatti & Amini)	1
5	Registrar, Cooperative Societies	1
6	Director (Information, Publicity and Tourism)	1
7	Director (Industries)	1
8	Director (Vigilance)	1
9	Director (Education)	1
10	Director (Social Welfare)	1
11	Chief Executive Officer (District Panchayat)	1
12	Director (Planning)	1
13	Deputy Collector (Androtт)	1
	Total	**13**

S. No.	(d) Posts under Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Administration	No. of Posts
1	Joint Secretary (Personnel)	1
2	Joint Secretary (Education)	1
3	Joint Secretary (Finance)	1
4	Deputy Collector (Diu)	1
5	Chief Officer (Diu)	1
6	Deputy Collector (Daman)	1
7	Joint Secretary (Tourism & Social Welfare)	1
8	Chief Executive Officer (Daman)	1
9	Joint Secretary (Health)	1
10	Chief Officer (Daman)	1
11	Chief Executive Officer (Diu)	1
12	Joint Secretary (Industries)	1
13	Deputy Collector (Khanvel)	1
14	Deputy Collector (Silvassa)	1
15	Chief Officer (Silvassa)	1
16	Chief Executive Officer (DNH)	1
	Total	**16**
Grand Total of Part-C (a+b+c+d) (Posts in Entry Grade and Selection Grade)		**326**

Grand Total (Part B + Part C) **404**

Schedule-II

[See rule 6]

Posts eligible for induction into Entry Grade :

(a) Posts under the **Government of the National Capital Territory of Delhi** (i) Grade I of Government of National Capital Territory of Delhi's Subordinate Service (ii) Hindi Officer. (iii) Punjabi Officer. (iv) Urdu Officer. (v) Personal Assistant to Deputy Commissioner of Delhi. (vi) Reporters of the Legislative Assembly. (vii) Press Officers.
(b) Posts under the **Andaman and Nicobar Administration** (i) Tehsildar. (ii) Assistant Secretary (Public, Finance, Development and Establishment) (iii) Treasury Officer and Registrar (iv) Block Development Officer (v) Superintendent (vi) Audit Officer, Co-operative Department (vii) Assistant Registrar of Co-operative Societies
(c) Posts under the **Lakshadweep Administration** (i) Block Development Officer. (ii) Junior Employment Officer
(d) Posts under **Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Administration** (i) Superintendent (ii) Mamlatdar (iii) Block Development Officer (iv) Enquiry Officer, City Survey (v) Assistant Sales Tax Officer. (vi) Land Reforms Officer

Schedule-III

[See rule 6(2) and 6(3)]

Eligibility and method of promotion

S No	**Grade**	**Method of promotion**	**Eligibility for Promotion**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Junior Administrative Grade I	By promotion in the order of seniority subject to rejection for being unfit for promotion on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Junior Administrative Grade-II officer with a minimum of eighteen years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Junior Administrative Grade I.

2.	Junior Administrative Grade II	By promotion on selection basis on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Selection Grade officer with a minimum of thirteen years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Junior Administrative Grade II.
3.	Selection Grade	By promotion in the order of seniority subject to rejection for being unfit for promotion on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	A regularly appointed Entry Grade officer with a minimum of eight years approved service shall be eligible to be considered for promotion to the Selection Grade.
4.	Entry Grade	i) 50 % by Direct Recruitment	Through Civil Service Examination conducted by UPSC.
		ii) 50% by Promotion	From amongst officers with 03 years regular service in the posts mentioned in Schedule II.

NOTE: The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st January of the year in which the vacancy has occurred.

Schedule-IV

[See rule 6(2) and 6(5)]

Composition of the Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee

A. Departmental Promotion Committee (DPC)

(I) Junior Administrative Grade-I

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairperson
2. Joint Secretary or Additional Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member
3. Chief Secretary, Andaman & Nicobar Islands – Member
4. Advisor to the Administrator, Lakshadweep – Member
5. Advisor to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Member
6. Principal Secretary or Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi – Member

(II) Junior Administrative Grade-II

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairperson
2. Joint Secretary or Additional Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member
3. Chief Secretary, Andaman & Nicobar Islands – Member
4. Advisor to the Administrator, Lakshadweep – Member
5. Advisor to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Member
6. Principal Secretary/Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi – Member

(III) Selection Grade:

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairperson
2. Joint Secretary or Additional Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Member
3. Principal Secretary or Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi – Member
4. Secretary (Personnel), Andaman & Nicobar Islands – Member
5. Advisor to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Member
6. Secretary, General Administration Department, Lakshadweep – Member

(IV) Entry Grade:

1. Joint Secretary or Additional Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Chairperson
2. Principal Secretary or Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi – Member
3. Secretary (Personnel), Andaman & Nicobar Islands – Member
4. Advisor to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Member
5. Secretary, General Administration Department, Lakshadweep – Member

Note: The absence of a member, other than the Chairperson, shall not invalidate the proceedings of the Department Promotion Committee if more than half the members, including the Chairperson of the Committee, had attended its meeting(s).

B. Departmental Confirmation Committee (DCC)

(I) Junior Administrative Grade-I: Not Applicable

(II) Junior Administrative Grade-II: Not Applicable

(III) Selection Grade: Not Applicable

(IV) Entry Grade:

1. Joint Secretary or Additional Secretary in charge of the Union Territories Division in the Ministry of Home Affairs – Chairperson
2. Principal Secretary or Secretary (Services), Government of National Capital Territory of Delhi – Member
3. Secretary (Personnel), Andaman & Nicobar Islands – Member
4. Advisor to the Administrator, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – Member
5. Secretary, General Administration Department, Lakshadweep – Member

[F.No. 14016/06/2023-UTS-II]

P. MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA